प्रेस प्रकाशनी

नवंबर 2009

रिज़र्व बैंक ने श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात का लाइसेंस रद्द किया

12 नवंबर 2009

श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात के अर्थक्षम नहीं रह जाने और गुजरात सरकार के परामर्श से बैंक को पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 नवंबर 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, गुजरात राज्य से भी बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से सामान्य शर्तों के अधीन 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने और समापन प्रक्रिया आरंभ किए जाने से श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात के जमाकर्ताओं को निक्षेप बीमा योजना की शर्तों के अधीन जमाराशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में श्री कामदार सहकारी बैंक लि., भावनगर, गुजरात पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित 'बैंकिंग कारोबार' करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री सी एन मोदी, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय

रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार हैः

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेंबर, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380 009. टेलीफोन नंबर : (079) 26589338 फैक्स नंबर : (079) 26584853।

रिज़र्व बैंक ने राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., धुळे, जिला धुळे, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया

13 नवंबर 20099

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., धुळे, जिला धुळे, महाराष्ट्र अर्थक्षम नहीं रह गया है और महाराष्ट्र सरकार के साथ परामर्श करके उसे पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास असफल हो जाने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होने वाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अक्तूबर, 2009 को कारोबार की समाप्ति के बाद उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। सहकारी समितियों के निबंधक, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का परिसमापन करने और उसके लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के परिसमापन पर हर जमाकर्ता सामान्य शर्तों के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की उच्चतम सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप राजलक्ष्मी नागरी सहकारी बैंक लि., धुळे, जिला: धुळे, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित 'बैंकिंग व्यवसाय' करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसमें जमाराशियां स्वीकार करना और उनकी चुकौती भी शामिल है।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री पी.के.अरोड़ा, उप महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क कर सकते हैं। श्री अरोड़ा का संपर्क पता नीचे दिया गया है:

डाक पता: शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंज़िल, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई - 400018 टेलीफोन सं. : (022) 24939930-49, सीधी लाइन: (022) 24935348 फैक्स सं. : (022) 24935495।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

13 नवंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	निरस्त करने की तारीख
मेसर्स विष्णु क्रेडिटस प्राइवेट लिमिटेड	26, मोती नगर, नई दिल्ली-110015	14.01293 दिनांक 28 सितंबर 1998	09 अक्तूबर 2009
मेसर्स नव उदय फाइनान्स एण्ड लिजिंग प्राइवेट लिमिटेड	486, झील खुरांजा, दिल्ली-110051	एन-14.01454 दिनांक 29 फरवरी 2000	09 अक्तूबर 2009
मेसर्स अलंकार सफायर डेवलपर्स (प्रा.) लिमिटेड	फ्लैट नं.4, आर.आर. अपार्टमेंटस, 3 और 4 मंगलापुरी, मेहरौली, नई दिल्ली-110030	एन-14.02924 दिनांक 30 मई 2003	09 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

27 नवंबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए निम्नलिखित कंपनियों, जिनका पता उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या और दिनांक	पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
मेसर्स सूर्यकृपा फाइनान्स लिमिटेड	मफतलाल हाऊस, 5 वी मंज़िल, बॅकबे रिक्लेमेशन, मुंबई - 400 020	13.00193 दिनांक 03 मार्च 1998	25 सितंबर 2009
मेसर्स पाथमेकर्स फाइनान्स लिमिटेड	204, वीना चेंबर्स, 21 दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 0203	13.01083 दिनांक 06 नवंबर 1998	23 अक्तूबर 2009
मेसर्स सूचक ट्रेडींग लिमिटेड	121 मित्तल टॉवर, सी विंग, 12 वी मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021	13.00213 दिनांक 04 मार्च 1998	23 अक्तूबर 2009
मेसर्स शेयरडील फाइनन्शियल कंन्सलटंट प्राइवेट लिमिटेड	14, नेशनल हाऊस, 27, रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 021	13.00755 दिनांक 20 अप्रैल 1998	23 अक्तूबर 2009
मेसर्स नागार्जुन सेक्युरीटीज लिमिटेड	43, फ्री प्रेस हाऊस, 215 फ्री प्रेस जनरल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 020	13.01082 दिनांक 05 नवंबर 1998	23 अक्तूबर 2009

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (ए) में परिभाषित किया गया है।